न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण – I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 135/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/298
दायर दिनांक :– 20.06.2025 निर्णय दिनांक :– 24.03.2026

1. भगवानाराम पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई सुथारानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. रामस्वरूप पुत्र भगवानाराम जाति विश्नोई निवासी सुथारानाडा तह. घंटियाली जिला फलोदी
3. दिनेशकुमार पुत्र भगवानाराम जाति विश्नोई निवासी सुथारानाडा तह. घंटियाली जिला फलोदी
4. पूनीदेवी पत्नी भगवानाराम जाति विश्नोई निवासी सुथारानाडा तह. घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. पप्पूराम पुत्र लाधुराम जाति विश्नोई निवासी सुथारानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. लाधु पुत्र चान्दाराम जाति विश्नोई निवासी सुथारानाडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 2

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त भूमि खेत खसरा नम्बर 506 रकबा 6.4102 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा सुथारानाडा पटवार क्षेत्र अजासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी में स्थित है। वादग्रसत भूमि खसरा नम्बर 506 रकबा 6.4102 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 का अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपर्वूक चला आ रहा है, प्रार्थीगण के अपने हिस्से की भूमि को खाद बीज डालकर आधुनिक तरीके से तैयार किया है। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में सामलाती है इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 अपनी कब्जा काश्त वाली भूमि को छोड़कर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में सामलाती रहते प्रार्थी को काश्त करने में तथा अन्य विकास कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये

Satya...
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि का नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 आपसी सहमति का बंटवाड़ा करवाने से इन्कार हो गये है और प्रार्थी द्वारा तैयार की गई उक्त खसरा की सम्पूर्ण भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है। अपने इसी नापाक इरादों से दिनांक 15.06.2025 को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ने प्रार्थी के द्वारा तैयार की गई भूमि में आये और प्रार्थी को धमकी दी की हम तुम्होर हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर तुम्हे बेदखल कर देगें। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 उपरोक्त अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा, जिसका मुल्यांकन रूपयों में नही किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही संभव है। इसलिये अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहते है। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम सुथारानाडा पटवार हल्का अजासर तहसील घंटियाली के खाता संख्या 93 सम्वत् 2075–78 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। संयुक्त काश्तकारी के चलते भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रार्थी और अप्रार्थीगण का अधिकार है। प्रत्येक के पास कृषि भूमि का कौनसा विशिष्ट भू–भाग होगा, इसका निर्धारण वादपत्र के निस्तारण के पश्चात ही किया जा सकता है।

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अगर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान, हस्तान्तरण इत्यादि कर देने से वादग्रस्त भूमि की प्रकृति एवं राजस्व अभिलेख में परिवर्तन हो सकता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सहकाश्तकार है, चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। अतः न्यायालय के अभिमत में प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा हो सकती है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम सुथारानाडा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 506 रकबा 6.4102 हैक्टेयर भूमि के मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनायें रखने हेतु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को लिखवाया जाकरे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सत्य नारायण-I आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)